

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

की
64वीं बोर्ड बैठक का

कार्यवृत्त

दिनांक : 03.01.2022
समय : पूर्वाह्न 12.00 बजे
स्थान : सर्किट हाऊस, सहारनपुर।

दिनांक 03-01-2022 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक रामगढ़, सर्विट हॉल्स, सहारनपुर में आयुक्त/अध्यक्ष, सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2022 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम संधिय, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष गहोदय तथा सभी उपस्थित माओ सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में संधिय, सूचीपूर्वक तथा निम्नलिखित माओ सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

			अध्यक्ष
1.	श्री लोकेश एम०	आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	सदस्य
2.	श्री अखिल सिंह	जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य
3.	श्री आशीष कुमार	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	सदस्य
4.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य
5.	श्री राजीव गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी प्रतिनिधि- अपर निदेशक (कोपागढ़), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	सदस्य
6.	श्री केठोहन	सहयुक्त नियोजक, बेरठ रामगढ़ी नियोजन खण्ड, बेरठ। प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।	सदस्य
7.	श्री केठोहर्मा	सहायक अधिकारी, उठपुर जल निगम, सहारनपुर। प्रतिनिधि- अधिकारी अधिकारी, उठपुर जल निगम, सहारनपुर।	सदस्य
8.	श्री सनात गुप्तार्हकी	अधिकारी अधिकारी (प्राचीन खण्ड) प्रतिनिधि- अधीकारी अधिकारी, लाल निमाल विभाग, सहारनपुर।	सदस्य
9.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमदारी
10.	श्री सुरेन्द्र रामा		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य
11.	श्री अमित गगनेजा		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

L

एजेंला आईटम सं०	विषय	एजेंडा	मात्र बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
64/01	दिनांक 17.09. 2021 को सम्पन्न हुई 63वीं थोर्ड बैठक में लिये गये विषयों की अनुपालन आख्या।		कोई अनुपालन शेष नहीं है। अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।
64/02	साहारनपुर नगर का सिटी डेवलपमेन्ट व्हान हैयर लिये जाने के सम्बन्ध में।	अपर मुख्य सचिव, मात्र मुख्यमंत्री जी, उम्मा शासन के पत्र संख्या आर-40/सीएम-2/2021 दिनांक 20.01.2021 तथा विशेष सचिव एवं स्टोफ अंपिलर, मुख्य सचिव, उम्मा शासन के पत्र संख्या 53/सीएसएमएलएम-20/2021 दिनांक 29.01.2021 के ग्राम्य से आयोग नगर के सुनियोजित विज्ञा नं० ११ द्वारा किये जा रहे अपोना डेवलपमेन्ट व्हान की तरफ अन्य 13 नगरों, जिसमें साहारनपुर नगर भी शामिल है, के लिए मात्र मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार सिटी डेवलपमेन्ट व्हान हैयर लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये। दिनांक 16.01.2021 को मुख्य सचिव महोदय उम्मा शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन व्हान को इनाये जाने के सम्बन्ध में नीति विषयक निर्देश जारी किये गये हैं। हैदरपुरना आवास एवं शहरी नियोजन अनुसार-1 के पत्र संख्या 64/आट-1-21-एप्ल०००-02/2021 दिनांक 05.04.2021 के मध्यम से गोडल ड्राफ्ट आरएफ०००० जी प्रति उपलब्ध कराते हुए स्वतंत्र अवश्यकताओं एवं पर्याप्तियों के अधार पर सुनियत आरएफ०००० हैयर कर मण्डलानुकूल महोदय ली अध्यक्षता में प्रियेन विभागों के साथ बैठक आयोजित कर आरएफ०००० डीव्हॉमेन्ट को अनियम रूप दिये जाने के निर्देश दिये गये। शासन के निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1722/साविंग्स-2021-22 दिनांक 03.07.2021 के द्वारा प्रेषित टाईम-लाइन के अनुसार मै क्स्मलेन्ट के चयन सम्बन्धी आरएफ०००० हैयर करते हुए दिनांक 05.07.2021 को आयुक्त महोदय, साहारनपुर मण्डल, साहारनपुर की अध्यक्षता में प्रियेन सम्बन्धित विभागों/स्टोफ होल्डर के साथ सम्पन्न हुई बैठक में आरएफ०००० को अनियम रूप प्रदान करते हुए 'सिटी	मात्र थोर्ड द्वारा विचारोपराना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

डेवलपमेन्ट फ्लान” तैयार किये जाने की कार्रवाई मा० प्राप्तिकरण बोर्ड से परिचालन के पाइया से अनुमोदित जारी जाने के उपरान्त “रिक्षेट कॉर्प प्रोजेक्ट” का प्रकाशन डेवलपमेन्ट www.etender.up.nic.in सहित समाचार पत्रों में कराते हुए आरएफओपी के अनुसार प्रश्न/विज्ञापनाएँ प्राप्त करते हुए पी-डिट मीटिंग आयोजित कर दिनांक ०४.०९.२०२१ तक हृ-विद पद्धति से औन-लाइन आरएफओपी आमंत्रित की गई परन्तु कोई प्रिड प्राप्त न होने के कारण पुन दिनांक २९.०९.२०२१ औ आरएफओपी आमंत्रित की गयी डिस्कं अन्तर्गत नंबर ०२ प्रिड प्राप्त हुई। आरएफओपी में प्रतिभागी प्रिडरों द्वारा बिंदी के प्राप्तियों में मण्डलामुख नहादय तो अन्यथा में गठित विद इवेल्यून एवं इमालीमेन्टेशन कमीटी के सदस्यों के समक्ष प्रत्युत्तीकरण किया गया। प्रत्युत्तीकरण के उपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा आरएफओपी की गती के अनुसार गुणवत्ता सह लागत आयोरित चयन (QCBS) के लिए निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत आरएफओपी में निर्दिष्ट प्राप्ति के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी तथा वित्तीय स्थौर के गम्भीर मूल्यांकन के आधार पर उच्चतम ईक एच-१ प्राप्त करने वाले प्रिडरों में० मैनहाईट (सिंगापुर) प्रा० लि० के वित्तीय प्रस्ताव घनारिश रु० ३२०.०० लाख को कम किये जाने हेतु विद इवेल्यून एवं इमालीमेन्टेशन कमीटी के बायां नेगोटिएशन किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त महादय, सहायन्त्र गणेश, सहायन्त्र गीता विजयलक्ष्मी में दिनांक २९.१०.२०२१ को बैठक आयोजित की गयी। पैठक में मै० मैनहाईट (सिंगापुर) प्रा० लि० द्वारा अपने दितीय प्रस्ताव की बम्प घरते हुए रु० २३५.०० लाख(जीडीएस०१० अपीरिक्षा) पर कार्य करने की सहमति प्रदान की गयी, जिसे विद इवेल्यून एवं इमालीमेन्टेशन कमीटी द्वारा आरएफओपी में निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के अनुरूप औपचार्यीय पाद नहा। तदकाम में उच्चतम ईक एच-१ प्राप्त करने वाले प्रिडरों में० मैनहाईट (सिंगापुर) प्रा० लि० के माध्यम से सहायन्त्र नगर का सिठी डेवलपमेन्ट फ्लान तैयार कराये जाने हेतु कार्यविद्या जारी किया जा चुका है तथा सम्बन्धित कम्बलटेन्ट द्वारा अधिकार कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत सहायन्त्र नगर का सिठी डेवलपमेन्ट फ्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विद इवेल्यून एवं इमालीमेन्टेशन कमीटी की बैठक दिनांक २९.१०.२०२१ में प्रदान की गई स्वीकृति (संलग्नक-०२.१) के अनुगाम में मै० मैनहाईट (सिंगापुर) प्रा० लि० की सहमति के आधार पर रु० २३५.००(जीडीएस०१० अपीरिक्षा) पर कराये जाने के सम्बन्ध में सहायन्त्र नगर कियास प्राधिकरण के बजट में प्राप्तिकरण करते हुए प्रस्ताव ना० बोर्ड के समक्ष अनुगोदनार्थ प्रस्तुत है।

64/03	वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 30.11.2021 तक दारतप्रिक आंकडे एवं पित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित आय-व्ययक आंकडे मानीय बोर्ड के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि व्याधित विचारोपरान्त प्रस्तुत आंकड़ों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव विचारोपरान्त मा० बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।	
64/04	ट्रासपोर्ट नगर योजना ने निर्मित 17 दुकानों के मूल्यांकन में आंशोपेत की जाने वाली भूमि की दर के निर्णयरण के सम्बन्ध में।	इस राकां में उपायक्ष महीदय के आदेश संख्या-353/सारप्रियोग्रा०/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निम्नवत समिति गठित की गयी :- 1- वित्त एवं सेखाविकारी 2- अधिशासी अभियन्ता 3- राहग्रक अभियन्ता (श्री रमन कुमार) उक्ता समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.12.2021(संलग्नक-04.1) में उल्लेख किया गया है कि ट्रासपोर्ट नगर योजना में प्राधिकरण द्वारा 17 दुकानों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009-10 में कराया गया था। पूर्व में वर्ष 2006-07 में ट्रासपोर्ट सम्बन्धी कार्य एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय के लिये ट्रासपोर्ट नगर योजना में भूमि आवंटन हेतु भूमि दर का मूल्यांकन परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित करते हुये भूमि का आवंटन किया जा रहा था। इसके अलिङ्का योजना में दुकाने, फोरक, पेट्रोल पम्प, घरेकटा, होटल, गैरटहाऊस एवं कामरिंगल काम्पलैक्स के भूखण्डों की दर सामान्य निर्धारित भूमि दर का दोगुना निर्धारित की गई थी। विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कारिंग के लिये शासनादेश संख्या-4049/93ा०-1-99/16 समिति/1998 दिनांक 20.11.1999 द्वारा	मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

निर्मित आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर-02 में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में प्राधिकरण की 37वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.02.2010 के आईटम सं 37/04 में मा० बोर्ड द्वारा ट्रासपोर्ट नगर योजना के अपशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करते हुये भूमि का आरक्षित मूल्य जिलाधिकारी द्वारा ट्रासपोर्ट नगर हेतु घोषित समिक्षा रेट रु 10,000/- प्रति वर्ग मीटर के अनुसार निर्धारित करने की रखीकृति प्रदान की गई। मा० बोर्ड द्वारा प्रदान की गई रखीकृति के कम में कालान्तर में विभिन्न वित्तीय वर्षों हेतु प्रश्नगत दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर 15.00 मीटर से अधिक छोड़े रास्ते पर स्थित अकृषक भूमि हेतु निर्धारित दर ली जाती रही थी (संलग्नक-04.2) परन्तु वर्ष 2018 में किये गये दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर लेते हुये गणना की गई (संलग्नक-04.3)। जबकि प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई दुकानें पवित्रबद्ध होने के साथ ही दुकानों के सम्बुद्ध आच्छादित कोरिडोर एवं खुली भूमि जो जनसामान्य के प्रयोगाधृत हैं, का मूल्य दुकानों के मूल्यांकन में सम्मिलित है। इस प्रकार दुकानों के मूल्यांकन में ली गई एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

प्राधिकरण की सम्पत्ति के विक्रय हेतु समय-समय पर खोले गये पंजीकरण एवं आयोजित कैम्पों में अधक प्रयासों के बाद भी इन दुकानों को क्य किये जाने हेतु आज तक कोई भी आवेदन प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका एकमात्र मुख्य कारण दुकानों के मूल्यांकन के भूमि घटक में आरोपित एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के फलस्वरूप दुकानों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि दर्शित हो रही है। निर्माण के लगभग 11 वर्षों के उपरान्त भी दुकानों का विक्रय न हो पाने के कारण एक ओर प्रत्येक वर्ष व्याज की धनराशि एवं समिक्षा रेट में निरन्तर बढ़ोत्तरी होने के कारण दुकानों के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही, यही दूसरी ओर प्राधिकरण द्वारा दुकानों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि भी अवरुद्ध होने एवं उचित

		<p>रख-रखाव के अभाव में निर्माण होस होने के साथ दुकानों की देखभाल भी प्राप्तिकरण के लिये समरग्या है।</p> <p>उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा ट्रासपोर्ट नगर योजना को ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी कार्यी/व्यवसायिक नियमित्यों के संचालन हेतु विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत दुकानों का निर्माण भी ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी लघु/मायम व्यवसायियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ही कराया गया है। यत्नानन् में ट्रासपोर्ट नगर योजना के अवशेष भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु भूमि की आरक्षित मूल्य कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० से अधिक छोड़े रास्ते पर अकृपक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर किया जा रहा है। यदि दुकानों के मूल्यांकन में भूमि की दर एकल दुकान हेतु निर्धारित भूमि की दर के स्थान पर 15.00 मी० से अधिक छोड़े रास्ते पर अकृपक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर अरोपित करते हुये आरक्षित मूल्य की गणना की जाती है तो दुकानों की निर्माण लागत एवं भूमि लागत में संतुलन होने के साथ ही दुकानों के विक्रय की सम्भावना में भी वृद्धि होगी।</p> <p>उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ट्रासपोर्ट नगर योजना में निर्मित दुकानों के मूल्यांकन में भूमि के मूल्य की गणना वर्तमान में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के विक्रय किये जा रहे अवशेष भूखण्डों की विक्रय दर (कलैक्टर, सहारनपुर द्वारा 15.00 मी० से अधिक छोड़े रास्ते पर अकृपक भूमि की निर्धारित न्यूनतम दर रु 20,000.00 प्रति वर्ग मी०) से करते हुए किये गये मूल्यांकन के आधार पर (मूल्यांकन अबलोकनार्थ संलग्नक-04.4 है।) दुकानों को नीलामी पट्टियों से निर्खारित/विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव भा० बोर्ड के समक्ष निर्णयादार/स्लीकूतार्थ प्रस्तुत है।</p>	
64 / 05	ट्रासपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न अनियन्त्रित/दुकानों/पैट्रोल	<p>इस सदृश में उपायक्रम महादेव के जोधेश सरखा-353 / सठियोप्रा०/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निम्नवत समिति महित की गयी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- वित्त एवं लेखाधिकारी 2- अधिशासी अभियन्ता 3- सहायक अभियन्ता (श्री रमन कुमार) <p>उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.12.2021 (संलग्नक-05.1) में</p>	<p>भा० बोर्ड द्वारा विचारोपनान प्रस्ताव स्पृहूत किया गया।</p>

<p>पम्प/फिलिंग स्टेशन एवं ब्योस्को हेतु आरक्षित भूखण्ड के नियन्त्रण/प्रिक्षय किये जाने हेतु योजना के अनुसारित तलपट मानवित्र में आरक्षित संरक्षण करने के सब्द में।</p>	<p>उल्लेख किया गया है कि राहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सचालित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत अनियन्त्रित पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन एवं ब्योस्को हेतु आरक्षित भूखण्ड का नीलानी की कार्यकारी के पश्चात भी विक्षय न हो पाने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अनुसारित तलपट मानवित्र में राष्ट्रपिता परिसम्मतियों की पीक्ट का पुनर्नियोजन मात्र बोर्ड के अवलोकनार्थे निम्ननुसार प्रस्तुत है:-</p> <p><u>१-पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के सब्द में:-</u></p> <p>ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ले-जाडट के अनुसार योजना की ३८०० मी० घोड़ी मुख्य सड़क पर पेट्रोल पम्प हेतु लगभग ९४३.४० वर्ग मी० क्षेत्रफल का भूखण्ड आरक्षित है। वर्तमान में कलेक्टर, सहारनपुर द्वारा अकृषक भूमि की नियन्त्रित न्यूनतम दर ₹० २०,०००.०० प्रति वर्ग मी० के अधार पर प्रत्यनगत भूखण्ड का कुल मूल्य ₹० १८५.६८ लाख होता है, जिस पर रजिस्ट्री एवं पी-एल शुल्क पृष्ठक से देय होगा। इतन्य है कि पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित प्रत्यनगत भूखण्ड योजना के सम्मुख देहरादून-सहारनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग पर ही लगभग ५०० मी० की परिधि में ०२ पेट्रोल पम्प सचालित हैं जिन्हें योजना से लगभग १००विं० की दूरी पर भी ०२ अन्य पेट्रोल पम्प देहरादून रोड पर जनता रोड पर पूर्व से सचालित हैं। इस कारण देहरादून, अम्बाला विलाना तथा चक्रीता की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर आने वाले वाहनों को ढीजल-पेट्रोल भरदाने आदि की सुविधा मुख्य मार्ग पर सहजता से उपलब्ध होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पम्प के तुलनात्मक दृष्टि से सकलनामूर्तक सुचालन संचालन के लदेह को दृष्टिगत रूप से दुर्कोई भी नियोगक लगभग २००.०० लाख से अधिक प्रत्यनगत भूमि क्षय पर करने का पदार्थ प्रतीत नहीं हो रहे हैं। समवक्ता इसलिए वर्तमान दिनांक तक पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन की नीलानी समय नहीं हो सकी है। वस्तुता पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अद्यव है। इस कारण ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पम्प की उपलब्धता बनावी स्थलों के उद्देश्य के साथ ही विक्षय की समावना में दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए यदि पेट्रोल पम्प के आरक्षित भूखण्ड की क्षेत्रफल को भदन निर्धारित एवं विकास उपायिकि के अन्तर्गत प्रविधानित फिलिंग स्टेशन के न्यूनतम 16.00×14.00 मी० कुल क्षेत्रफल २२४.०० वर्ग मी० भूखण्ड के साथ 30.69×20.65 मी० कुल क्षेत्रफल ६३३.७५ वर्ग मी० जहाँ हुए अपशेष भाग को 15.00×20.65 मी० कुल क्षेत्रफल ३०९.७५ वर्ग मी० के रूप में विक्षय किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड के विक्षय की सम्भावना</p>
---	--

	<p>में भी वृद्धि होगी। इससे प्राप्तिकरण को किसी भी प्रकार की विलीन हानि नहीं होगी। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्तिकरण हित में द्रासारोट नगर योजना के पूर्व स्थीकृत लै-आउट प्लान में पेट्रोल एम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड को भवन निर्माण एवं उपयोगिता के अन्तर्गत प्राप्तिकरण व्यूनतम बैंकफल एवं भाष्य के आधार पर कम करते हुए 30.69×20.65 मी० कुल बैंकफल 633.75 वर्ग मी० तथा आरोप 15.00 $\times 20.65$ मी० कुल बैंकफल 309.75 वर्ग मी० को भूखण्ड के रूप में संशोधन उपरान्त प्रस्तावित (संलग्नक-05.2) लै-आउट प्लान के अनुसार नियोजित करते हुए विक्रय किया जाना अधिकार्यपूर्ण पाया गया है।</p> <p>2- द्रासारोट नगर योजना में 'x' आकार में 16 क्योर्सों के भूखण्डों के पुनर्रेखित/संशोधित नियोजन के सम्बन्ध में।</p> <p>द्रासारोट नगर योजना ने देहरादून-सहारनपुर मार्ग से लगभग 700.00 मी० दूर पर योजना की मुख्य सड़क के दाढ़ी ओर 'x' आकार में 30.5×3.25 मी० नाप (बैंकफल 10.00 वर्ग मी०) के 16 क्योर्सों के भूखण्डों का नियोजन पूर्व स्थीकृत लै-आउट (संलग्नक-05.3) में किया गया है। सभी क्योर्सों के भूखण्डों की पहुंच मुख्य सड़क से आगे-लींगे होने के कारण इन भूखण्डों का विक्रय नहीं हो जा रहा है। वर्तमान दिनांक तक किसी भी क्योर्स की नीलामी इस कारण से समय नहीं हो सकी है। इसके दृष्टिगत रखते हुए इन क्योर्सों के समुख 03.00मीटर चौड़ा पाथ-वे का प्राप्तिकरण किया गया है (प्रस्तावित नियोजन सलग्न) जिससे इन भूखण्डों का विक्रय सम्भावित हो सके।</p> <p>उपरोक्तानुसार स्थीकृत लै-आउट प्लान में 'x' आकार के 16 क्योर्सों के भूखण्डों का नियोजन परिवर्तन रूप से करते हुए समरत क्योर्सों के समुख 03.00मीटर चौड़ी पाथ-वे का प्राप्तिकरण कर पुनर्नियोजन किया जाना अधिकार्यपूर्ण पाया गया है। अतः सहारनपुर विकास प्राप्तिकरण की द्रासारोट नगर योजना के अन्तर्गत पेट्रोल एम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के सलग्न पुनर्रेखित/संशोधित नियोजन की अनुमति हेतु प्रस्ताव नां ३०१ वोई के सम्बन्ध विवारण/स्थीकृतार्थ प्रस्तुत है।</p>
--	--

64/06	<p>ट्रांसपोर्ट नगर योजना के समीप ग्राम राडक दूधपुरी में प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से क्य की गई अवैर्यन सीलिंग की भूमि पर निर्मित भवनों को आपाउडेवल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत 90 घरों की लीज पर आवृत्ति किये जाने के संबंध में। </p>	<p>सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त अवैर्यन शीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किए जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन रत्तर से यथोक्ति गार्गदर्शन इदान किए जाने के साथचंग में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2856/सरप्रियो/सरअप्र०/2020-21 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०३०, लखनऊ तथा अपर विलायिकारी सहारनपुर को घोषित पत्र/काईल न० ८-६०९९/१५४२/२०२० दिनांक दिसम्बर, 2020 के क्रम में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०३०, लखनऊ के पत्र संख्या २९८/तीन-४०८३/टिप्र०/सहारनपुर/२०२१ दिनांक 21.09.2021 (संलग्नक-०६.१) के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निम्नवत अवगत कराया है :-</p> <p>क- "जहाँ तक जन सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना कियान्दित किये जाने अथवा प्लाटिंग/भूखण्डों का विक्रय किये जाने अथवा न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार आवृत्ति भूमि का पट्टा डिलेख के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा जो भूमि अनुप्रयोगी है, उसी नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में जब प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया जाया है तथा राजस्व अधिलेखों में इन्द्राज भी कराया जा चुका है और सम्बन्धित लेखा शीर्षक में धनराशी भी जगा की चुकी है, से स्पष्ट है कि भूमि प्राधिकरण की ही अधिकारी में है।"</p> <p>राय ही यह भी उल्लेख है कि आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डों का विकास/निर्माण कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०३०, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 में दर्जीत तथ्यों के आलोक में शासनदेश में विहित व्यवस्थानुसार/प्रार्थियानुसार शासन रत्तर से यथोक्ति गार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2622/सरप्रियो/२०२१ दिनांक 25.10.2021 (संलग्नक-०६.२)के द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुमान-६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन से अभी तक कोई नार्गदर्शन/दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।</p>	<p>मा० बोड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>
-------	--	---	---

ख— “शासनादेश सख्ता-559/उन्नास-109गृही0/82 दिनांक 27.02.1984 एवं शासनादेश सख्ता-317/9-न०गृु/96-109गृही0/81 दिनांक 27.02.1996 गणपति शासनादेश सख्ता-2893/9-न०गृु/96- 109गृही0/81 दिनांक 11.12.1996 में दी गयी विधि व्यवरथानुसार अर्द्धन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखाव हेतु हस्तांतरित है, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश सख्ता-559 दिनांक 27.02.1984 की व्यवरथानुसार भूमि का आवंटन शासन द्वारा विहित शर्तों के आधार पर किया जाता था, अब शासनादेश सख्ता-2893, दिनांक 11.12.1996 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सीधे आवंटित किये जाने का प्राप्तिग्रन्थ है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में किया गया आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।”

निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के मार्गदर्शन से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है :—

- 1— प्राधिकरण को आवंटित साहिद जी नगर व ट्रांसपोर्ट नगर योजना में अर्द्धन सीलिंग की भूमि का आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।
- 2— अर्द्धन सीलिंग की आवंटित भूमि को पट्टा विलेख के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है।
- 3— अर्द्धन सीलिंग की आवंटित भूमि को विक्रय करने/ न करने के संबंध में शासन मार्गदर्शन देने में सक्षम है।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण को ट्रांसपोर्ट नगर योजना की अर्द्धन सीलिंग की भूमि आवंटन करने में तत्समय व्यय की गयी धनराशि रु० 21,06,144/-एवं अर्फाडेवल हाऊसिंग योजना की अन्तर्गत 27.00 वर्गमी० के 32 भवनों तथा 39.20 वर्गमी० के 16 भवनों की निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि रु० 5,40,27,402.95 अवकूद है। उक्त योजना के भवनों के आवंटन से प्राधिकरण को उराके द्वारा व्यय की गई धनराशि वापस हो सकती।

अतः प्राधिकरण के वित्तीय हित को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित अर्द्धन सीलिंग की भूमि पर निर्मित अर्फाडेवल हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत 27.00 वर्गमी० के 32 भवनों तथा 39.20 वर्गमी० के 16 भवनों को शासन के मार्गदर्शन आने तक निदेशक, भूमि-सीमारोपण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सख्ता

		298/तीन-4083/विभा०/सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021 के क्रम में लोज (पट्टा विलेख) के अनुसार भवनों का आवटन अवधी ५० वर्ग के लिए पट्टे के आवार पर किये जाने एवं पट्टे का विचार नियामन से पहले भवनों पर निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एकमुश्ति देय होने की शर्त के अन्वार पर दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
64/07	राहिव जी नगर के निकट स्थित आवासीय योजना हेतु प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से क्रय की गई अवैन सीलिंग की भूमि पर जन-सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना विभागित किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को जिला प्रशासन के मध्यम से द्वारा अवैन सीलिंग की अविभित घोषित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डो का विकास किये जाने अवधा न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित भारीदारीन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 2856/संविभा०/स०ज्ञ०/2020-21 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा विदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०४०, लखनऊ तथा अपर जिलाधिकारी, सहारनपुर को प्रेषित पत्र/फाईल नं ४-६०९९/१५४२/२०२० दिनांक दिसम्बर, 2020 के क्रम में विदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०४०, लखनऊ के पत्र संख्या 298/तीन-4083/विभा०/सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021 (संलग्नक-०७.१) के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए विभागित अवगत कराया है—</p> <p>क— “जहाँ तक जन सामान्य के प्रयोगार्थ आवासीय योजना विभागित किये जाने अवधा प्लाटिंग/भूखण्डो का विकास किये जाने अवधा न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उपरोक्त सदर्भित शासनदातों के अनुसार आवित भूमि का पट्टा विलेख के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है जबकि जो भूमि अनुस्योदी है, उसे नीलामी द्वारा विकास किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में जब प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत भूमि का गवाहा से सिया गया है तथा राजस्व अधिलेखों में इन्दाज भी कराया जा चुका है और सम्बन्धित लेया शीर्षक में घनराशि भी जमा की चुकी है, से स्पष्ट है कि भूमि प्राधिकरण की ही अभिक्षा में है।”</p> <p>साथ ही यह भी उल्लेख है कि आवासीय योजना/प्लाटिंग/भूखण्डो का विकास/निर्गाम कर किया जाने के सम्बन्ध में विदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०४०, लखनऊ के उपरोक्त सदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 में उर्जित तथ्यों के आलोक में शासनदाता में दिहित व्यवस्थनुसार/प्राप्तिनुसार युक्त स्तर से यथोचित</p>	गाँ बोड़ द्वारा विचारोपयना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

	<p>मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2622/स०पि०प्रा०/2021 दिनांक 25.10.2021 (सलगनक-07.2) के द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन से अभी तक कोई मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।</p> <p>ख— “शासनादेश संख्या-559/उन्न्यास-109प०सी०/82 दिनांक 27.02.1984 एवं शासनादेश संख्या-317/9-न०प००/96-109प०सी०/81 दिनांक 27.02.1996 यथासांशोधित शासनादेश संख्या-2893/9-न०प००-96- 109प०सी०/81 दिनांक 11.12.1996 में दी गयी विधि व्यवस्थानुसार अवैन सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि जो विकास प्राधिकरण को रख रखाय है तु हस्ताक्षिप्त किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश संख्या-559 दिनांक 27.02.1984 की व्यवस्थानुसार भूमि वा आवंटन शासन द्वारा विहित रातों की आवार पर फिया जाता था, अब शासनादेश संख्या-2893, दिनांक 11.12.1996 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समित द्वारा रीधे आवटित किये जाने का प्रायिकान है। अब प्रश्नगत प्रकरण में किया गया आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है।”</p> <p>निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र०, लखनऊ के मार्गदर्शन से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- प्राधिकरण जो आवटित साहिव जी नगर व ट्रास्पोर्ट नगर योजना में अवैन सीलिंग वी भूमि का आवंटन शासनादेशों के अनुरूप है। 2- अवैन सीलिंग की आवटित भूमि को पट्टा दिलेख के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है। 3- अवैन सीलिंग की आवटित भूमि को विक्रय करने/ न करने के सम्बन्ध में शासन सक्षम है। <p>अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा साहिय जी नगर योजना की अवैन सीलिंग की भूमि बाय करने में तत्समय वयय की गयी धनराशि रु० ८६,६२,०५५/- अदरुद्द है। इस धनराशि की वापसी के साथ-साथ उक्त योजना के भूक्षणों के आवंटन से प्राधिकरण वी आव चुदूद होती। जब प्राधिकरण हित में साहिव जी नगर योजना में विथत अवैन सीलिंग की भूमि को शासन के मार्गदर्शन आने तक निदेशक,</p>
--	--

		<p>भूमि-सीमारोपण, उत्तरो प्रदेश के प्रवानगा संख्या 298 / तीन-4083 / प्रियोगी/ सहारनपुर/2021 दिनांक 21.09.2021 के ग्राम में लीज (पट्टा विलेख) के अनुसार भूमिका का आवंटन आवधी को 90 वर्ग के लिए पट्टे के आधार पर किये जाने एवं पट्टे का किराया निषादन से पहले गुणांश में निहित मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एकमुक्त देय होने की रुट के आधार पर दिए जाने का प्रस्ताव अनुसादन हेतु प्रस्तुत है।</p>	
64/08	ट्रासोर्ट नगर योजना के समीप ग्राम सड़क दूखली ने निर्भित भवनों के गृह्ण में व्याज की गणना को फीज किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ट्रासोर्ट नगर योजना के समीप ग्राम सड़क दूखली में दुर्घल आद वर्ग हेतु निर्भित 32 चार मिलिए तथा अल्प आद वर्ग हेतु निर्भित 16 चार मिलिए भवनों का निर्भित जिला प्रशासन से क्रय की गई अवैन सीलिंग की 2060.00 वर्गमीटर भूमि पर दर्व 2017 में पूरी कराया गया था। प्राधिकरण द्वारा निर्भित उपरोक्त भवनों तथा भूमि के विकास पर व्याज की गई धनसंशोधन के आधार पर इति यूनिट भवन का मूल्य अल्प आद एवं दुर्घल आद वर्ग की सीमा से अधिक होने के साथ यह योजना ट्रासोर्ट नगर योजना से लगी होने के कारण अफौडेल हाउस के रूप में भवनों के आसानी से विक्रय होने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 23.10.2017 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 53वीं बोर्ड बैठक के एजेंडा आईटम संख्या 53/04 में मात्र बोर्ड द्वारा उक्त भवनों को अफौडेल हाउस में परिवर्तित करने हेतु अनुगोदन उटान किया गया था। उक्त प्रकरण को सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.06.2018 में विचारणे प्रस्तुत किये जाने पर मात्र बोर्ड द्वारा निर्देशित विचारणा के अवश्य कार्य को पूरी कराकर शासनादेशानुसार नीलामी की कार्रवाई की जायें। 540 बोर्ड के उक्त निषेच के अनुगातन में उक्त भवनों को अफौडेल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निवादा सह-चुली नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2019 से पंचीकरण प्रारम्भ किया गया, परन्तु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हो पाने के कारण पुनः दिनांक 02.10.2019 से पंचीकरण खोला गया, परन्तु दूसरी बार भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण प्राधिकरण की दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक के एजेंडा आईटम संख्या 58/06 में उक्त भवनों को "पहले आओ-पहले पाओ" के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु प्रदान की गई स्थीकृति के काम में भवनों को विक्रय किये जाने हेतु कागज़ दिनांक 17.03.2020, दिनांक 18.06.2020, दिनांक 22.08.2020 तथा दिनांक 19.11.2021 से प्रत्येक शुक्रवार को "पहले आओ-पहले पाओ"</p>	<p>मात्र बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव रखीकृत किया गया।</p>

	<p>के अधीर पर आवटन हेतु पत्रोकरण दीते गये। परन्तु १८ चार फॉरिकरण क्षेत्र जाने के उपरान्त भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भवनों के मूल्य से प्रतिवर्ती हो रही उत्तरीतर कुदीं के कारण भविष्य में भवनों के आवटन की सम्भावना भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।</p> <p>उपरोक्त भवनों में पत्रोकरण/परिभाग नहीं होने का प्रमुख कारण भवनों के मूल्य में संलग्न तालिका-(क) के अनुसार प्रतिवर्ती बाज़ी भवनराशि में ही रही बढ़ीतरी के फलस्वरूप भवनों के मूल्य में विस्तार हो रही दृष्टि है। भवनों के दिक्कत नहीं होने के कारण जहाँ एक ओर इन भवनों के नियमित एवं भूमि पर प्राप्तिकरण द्वारा यद्य की गई घनराशि अवरुद्ध पढ़ी हुई है, वही दूसरी ओर भवनों का रख-खाद प्राप्तिकरण के लिए एक समर्थकाकारक प्रतीत हो रही है। उपरोक्त हथ्यों एवं कारणों के दृष्टिगत भवनों की लागत पर प्रतिवर्ती समिलित किये जाने वाले बाज़ी को "झीज़" किया जाना अवश्यक एवं आवश्यक प्रतीत हो रहा है।</p> <p>अत द्वारपाठ नगर योजना के समीप यान सड़क दूड़ली में दुईल आय दर्ता हेतु निर्मित ३२ चार भविष्ये तथा अत्य आय दर्ता हेतु निर्मित १६ चार भविष्ये भवनों की लागत पर वित्तवर्ष समिलित किये जाने वाले बाज़ी के संघर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२१-२२ तक के बाज़ी को समिलित करते हुए भवनों के किये नये संलग्न मूल्यांकन-(य) को "झीज़" करते हुए अगामी दर्ता में भी इसी मूल्य पर भवनों के आवटन किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समस विवाहार/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।</p>		
64/09	<p>प्राप्तिकरण के कार्यों को सुनारु लप से छलाए जाने हेतु वास्तुविदों का फैनल छवनीत किये जाने के सम्बन्ध में</p>	<p>सहारनगुर प्रिकास प्राप्तिकरण द्वारा सहारनगुर में ट्रिभेन एक्सप्रेस एवं नियमित कार्य कराये जाते हैं जिसमें Architectural & Structural engineering expertise की आवश्यकता पड़ती है। इसको दृष्टिकोण स्थान हुए भवन नियोग संबंधी कार्यों एवं उन्हें नियमांग/विकास संबंधी कार्यों हेतु कुर्क-पुर्क रूप से सुनियोग वास्तुविदों का ऐनल हैयार किया जाना उद्दित होगा। अवश्यकता पड़ने पर प्राप्तिकरण में उकानुसार Empaneled वास्तुविदों में से से प्रतिलिपि जो मायम से वास्तुविद का चयन कर सम्भान्नार्थी कार्य रामान कराया जाएगा।</p> <p>अतः कृपया प्राप्तिकरण में वास्तुविदों को e - Tender के माध्यम से ऐनल चयनित किये जाने का प्रस्ताव मा० बोर्ड के विवाहार एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>मा० बोर्ड द्वारा विवाहारप्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>

64/10 सहारनपुर महायोजना-2021 अन्तर्राज निर्मिति एवं सभीप के द्वेष में शहर के सुनियोजित दिकास हेतु निर्मित धोत्र में 12मीटर नागरिकार सुधित कर मानविकी की स्वीकृति के संबंध में।	<p>इस सबध में उपायक सहोदय के आदेश सख्त्या-354/सठविठ्ठा/2021 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निम्नवत रामिति गठित की गयी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- श्री अग्निल कुमार मिश्रा, अधिकारी अभियन्ता 2- श्री लीलांशुमारी, सहायक अभियन्ता 3- श्री शीत कुमार जैन, अवर अभियन्ता 4- श्री रोहणप्रभु अग्रवाल, अवर अभियन्ता <p>उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या 14.12.2021(संलग्नक-10.1) में उल्लेख किया गया है कि सहारनपुर दिकास धोत्र के अन्तर्राज निर्मित धोत्र में कुन नगर व्यवसायिक उपयोग हेतु विकसित ही नुक्के हैं एवं प्रश्नगत तथा जैन भूमियोग सहारनपुर महायोजना-2021 में निर्मित धोत्र दर्शित है। इन नारी पर साफत की घैटाई 12.00 मीटर होने पर करण आवासीय प्रविहित सीकृत किए जा रहे हैं। तदक्रम में कुछ नारी वो विविहित किया गया है जिनका विवर निम्नात है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ट रोड से टेलीफोन एक्सचेज गाली सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 2. बोर्ट रोड से वर्धी याली सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 3. बोर्ट रोड से धोन्ना रादन दाली सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 4. लाशी गेट से नास्त्यामुखी नीरव तक वी सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 5. बोर्ट रोड से अराम पाड़ने वाले क्षेत्र की सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 6. मगल नाम पुल से आकाश गंगत नर्सिंग हास्प के आगे से विवर टाकिंज के रासाने धक्कोता रोड पर मिलने वाली सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 7. बोर्ट रोड भारती ढेसी से इन्डा पार्क नर्सिंग होम तक वी सड़क। (9.00 मीटर और सातम) 8. बोर्ट रोड से सालरा जनरल स्टोर दाली सड़क। (9.00 मीटर और सातम) <p>सहारनपुर दिकास धोत्र के अन्तर्गत सहारनपुर महायोजना-2021 में दर्शित निर्मित धोत्र में बालार एवं सधन बालार धोत्र में Existing Road Width की घैटाई पर व्यापारादिक नानविक सीकृत किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त बालार एवं सधन बालार धोत्र के अविविक कई नारी व्यापारादिक लग से विकसित हो रहे हैं एवं धूर्धे में भी ही नुक्के हैं, जिसको विवरण 12.00 मीटर वीली सड़क उत्तमता न होने के कारण व्यापारादिक रूप से सीकृत/जन्मन नहीं किया जा सकता है। यदि उपरोक्त सड़कों पर आवासीय नानविक सीकृती हेतु उत्तम विवेज जाते हैं, तो भी सड़क की घैटाई 12.00 मीटर प्रस्तावित करनी होगी। रामिति द्वारा उक्त के वृष्टिगत उपरोक्त सड़कों के सम्मुख रोड वाइडिंग वी जगह छोड़कर 12.00 मीटर घैटी सड़क प्रस्तावित करते हुए मानविक सीकृति प्रदान किए जाने वी आख्या थी है। इससे न केवल भागिकता की आय में वृद्धि होगी बढ़िक जनसामान्य को सहत मिलेगी और परिवहन</p>	<p>उक्त के सबध में गहन चर्चा के उपरान्त मात्र बोर्ड द्वारा बैठक में उपरिवित सहयुक्त नियोजक, मेरठ समाजीय नियोजन बड़े, मेरठ को निर्विवित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण पर आपनी सुस्पष्ट आख्या 03 दिन के अन्दर उपायक सठविठ्ठा को उपलब्ध कराना सुनियोजित करे। तदोपरात प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से अभिमत/आख्या प्राप्त कर ली जाए।</p>
---	---	---

		की दृष्टि से भी हमें कारी होगा।	
64/11	राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यालयी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी नियन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु दर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग के भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।	<p>अत उल्लंघन के दृष्टिकोण साड़कों के सम्बन्ध रोड घटावनिय की जगह छोड़कर 12.00 भैटर छोटी सड़क प्रस्तावित करो तु पुण्यराष्ट्रिक/अधिकारीय मानदित्रों की स्तीकृति प्रदान गिए जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के सम्बन्धित एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>आमुक्त/अद्यत गोदाय, साहस्रनगर मण्डल/साहस्रनगर मार्ट शिल्पी लिंग, साहस्रनगर ली अधिकारा में दिनांक 27.08.2021 तथा 28.09.2021 को सम्बन्ध हुई निदेशक मण्डल की बैठक के बायोलू वै उन्नुशास युक्ती पर्क गोदाय मण्डल की भूमि पर मल्टीलेवल पर्किंग के नियन के सम्बन्ध में चर्चा है। दौलत उपायक शाहस्रनगर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि दुखली पार्क बोर्ड और अधिकारा रोड बस रोडिंग की भूमि जा भू-उपयोग महायोजना-2021 के अन्तर्गत शुल्क देव है। इसके भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आवायी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा। तदावन्न प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन जो अधिन कार्यालयी हेतु भेजा जायेगा।</p> <p>तदक्रम में आमुक्त महोदय ली अधिकारा में दिनांक 29.11.2021(सलमनक-11.1) को सम्बन्ध हुई निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तावित नियन हेतु लोकान्वयन महायोजना-2021 में प्रस्ताव भूमि/साल के विवान भू-उपयोग आवाय स्वेच्छा को बोर्डिंगपल में परिवर्तित कराये जाने हेतु अधिकारा लोकान्वयी की अपेक्षा के फल से साहस्रनगर विकास प्राधिकरण ली अधिकारा पर संख्या-1233/सामित्रा/2021-22 दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से नगर आमुक्त/पुस्त्र लायोली अधिकारी, नगर नियम/साहस्रनगर मार्ट शिल्पी लिंग, साहस्रनगर लोकोपय विन्दुओं के अनुसार सूचनाएँ/विवरण सम्पूर्ण अधिलेखी सहित प्रस्ताव को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके उल्लंघन से नगर आमुक्त, नगर नियम/साहस्रनगर द्वारा वायाजम पर संख्या-353/समाझुक्त/नियितसाला/2021-22 दिनांक 17.12.2021(सलमनक-11.2) के माध्यम से जुड़ी पर्क साहस्रनगर की भूमि पर कोर्सिटल शिल्पी एवं अधिकारा जोन स्वेच्छा को बोर्डिंगपल में परिवर्तित कराये जाने हेतु गांधित अभिनेता सहित प्रस्ताव बदलते रहे गया है, जिसका विवरण निम्नत है -</p> <p>1- दुखली पार्क के दस्ता ना-953 की 7000.00 रुपये में भूमि का विद्यान भू-उपयोग आवाय स्वेच्छा के बोर्डिंगपल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित युक्त स्वेच्छा के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर नियम द्वारा उत्तीर्णी अभिनेता भूमि महायोजना में अवक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अन्ते वायाजम पर संख्या-352/समाझुक्त/नियितसाला/2021-22(सलमनक-11.3) दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से मानकमात्र में गांधी शक्ति इण्टर कोलेज के सामने द्वारा ना-364 की लागत 7400.00 रुपये में (युद्धान) की भूमि को नगर नियम की होट बैठक में स्तीकृति जी प्रत्यक्षा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध</p>	मा० बोर्ड द्वारा विद्यारोप्यान्त व्रस्ताव रक्षकृत किया गया।

	<p>करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बाला रोड, महाराष्ट्र के खसगा नं-1174 की 800000 रुपये मीठे भूमि का विद्युन भू-उपयोग ओपन सेस को कोर्पोरेशन में परिवर्तित कराए जाने का प्रस्ताव है। महारोजना में प्रस्तावित खुले रूप से भू-उपयोग परिवर्त्त हेतु नगर निगम द्वारा उठाई ही अधिकारिक भूमि महारोजना में आरंभित किये जाने के समय से ओपन कार्पोरेशन पर लखगा-362/सम्बिला/परिवर्त्तन/2021-22 दिनांक 10.12.2021(संलग्नक-11) के माध्यम से याम घटाहरी में इमर्ग 70-80मि की लम्बाई 615000 रुपये मीठे (मन्दिर यम स्थान) व उत्तरा नं-134 लेफ्टल 256000 रुपये मीठे (उदीन चर्ची) की भूमि सहित कुल 871000 रुपये मीठे भूमि को नगर निगम की ओर ऐक में स्वीकृती की प्रस्ताव में ऐकात्मिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>उल्लेखीयोजनाओं का क्रियान्वयन मारत सरकार की स्मार्ट सिटी निगम योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के साथ जनहित में आदशकता की दृष्टिकोण स्टॉर्ट रिट्री निगम के विदेशी मण्डल द्वारा उठाई दीनी परियोजनाओं के सवार में इए गए अनुमोदन एवं परियोजना क्रम में स्मार्ट सिटी, लालगढ़गुडा द्वारा प्रस्तावित नियमों हेतु वर्तमान महारोजना-2021 ने प्रस्ताव भूमि/रूपरथ के विद्युन भू-उपयोग ओपन सेस को कोनशियल में परिवर्तित कराए जाने हेतु नगर एवं याम विधेयन दिलाक लाभ के पास 142/अनु-महारोजना/शासकीय समिति/सभि(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021(संलग्नक-11, 4) के साथ सत्तम कार्यकृत के प्रतिरार (18) के अनुसार आपत्ति/सुदाया आमंत्रित किए जाने हेतु प्रस्ताव नां ओर्ड के सम्बन्धितार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।</p>		
64 / 12	<p>अनु-योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास बैंक की जीआईएस० ऐस्ट महारोजना-2031 तैयार किये जाने का कार्य मारत सरकार की अनु-योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। नगर एवं याम विधेयन दिलाक, उमर०३० लखनऊ को इस बारे हेतु नोटल सरका नामित किया गया था। नीडल सम्बन्ध द्वारा इस कार्य हेतु दिनांक 10.05.2019 को हुए अनुबंध के अनुसार मौजूदीमन्डज गोपन इन्डिया कार्नलेन्टस लिं, एफ-३३, और्यार औद्योगिक बैंक, एफ-२, नई दिल्ली की करातालैन्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे के हैटाराद स्थित कैन्ट से विकास बैंक की सेटेलाइट इमेजेनरी प्राक्त लर विकास बैंक का बैंक में तैयार कर उल्लेख आगार पर महारोजना-2031 तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगती पर है। विकास प्राक्तिकरण द्वारा गहर में विभिन्न संस्थाओं सहारनपुर दुन इन्डिया एस्ट एस्टेट ऑफेज एवं एस्टेट एस्ट००, इन्हिनें इडलस्ट्रीज एस्ट००, उमर०३० वापाई कलाया बीई, उमर०३० लखनऊ सहारनपुर नियोजक मंसूब, मनोनित सहाय्याल एवं अर्टिंग अदि के साथ ऐक कर पान दुरु सुझाये को साहाय्य करते हुए नहारोजना-2031 का द्वापट प्राक्त तैयार किया गया था। द्वापट प्राक्त का प्रस्तुतीकरण दिनांक 13.11.2021 की समिव आवास एवं</p>	<p>माठ ओर्ड द्वारा विद्यारोपान्तर जीआईएस० ऐस्ट महारोजना-2031 के डाप्ट प्राक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस पर जनसामाज्य से आपत्ति/सुदाया प्राप्त करने हेतु नियंत्रित किया गया।</p>	

		<p>इहो नियोजन दिभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की समिति के समक्ष लखनऊ में किया गया था। समिति द्वारा कठिपय सशोधन किये जाने के सुझाव पिछे गये थे। पुनः दिनांक 25. 11.2021 को महायोजना-2031 में ड्राफ्ट प्रारूप का प्रस्तुतीकरण आयास विज्ञास परिषद लखनऊ के कार्यालय रामगढ़ में समिति द्वारा किये गये सुझावों को अद्यवृत्त के अनुसार समाहित कर दिया गया है (संलग्नक -12.1 / कार्यकृत की प्रति)। समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में सहारनपुर महायोजना-2031(प्रारूप) को सहारनपुर विज्ञास प्राप्तिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उप्रेत नगर योजना एवं विज्ञास अधिनियम-1973 की धारा-11 के अनुसार उप्रिय कार्यवाही किये जाने की लक्ष्यता की गई।</p> <p>(A) <u>मैं ऑलमध्य ग्लोबल इन्डियन्स लिंट द्वारा महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप पर बोर्ड के सामग्र प्रस्तुतीकरण।</u></p> <p>(B) महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप के मुख्य दिन्दु बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- महायोजना-2021 के द्विं भूतप्रयोग में एवं प्राप्तिकरण विज्ञास केंद्र में नए अधिसूचित केंद्र में नए भूतप्रयोग तकाती प्रस्ताव (मानविक सलमन)। 2- महायोजना में प्रस्तावित भूतप्रयोग का नामनज्ञन एवं एक समान होने की दृष्टि से कार्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन के पत्रक 142/अनुता-महायोजना/शासकीय समिति/संनिधि/2021-22 दिनांक 21.12.2021 (संलग्नक-12.1) में दिए गए सुझाव के दृष्टिगत महायोजना-2021 में निम्नवत् परिवर्तन का प्रस्ताव :- <p>(क) उक्त पत्र के प्रस्ताव 2.12 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के आवासीय भूतप्रयोग यथा आवासीय, आवासीय(250-300 पीपीएच), निक्षित आवासीय (300-400 पीपीएच) एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप को एक ही श्रेणी आवासीय भूतप्रयोग में प्रस्तावित किए जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>महायोजना-2021 में दिल्ली रोड पर 02 स्थलों पर, देहरादून रोड पर 02 स्थलों पर एवं जनता रोड तथा अम्बाला रोड पर 01-01 स्थल पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का भूतप्रयोग प्रदर्शित किया गया था जिसमें दिल्ली रोड के स्थलों पर टाउनशिप की परियोजना सद्यालित है। जनता रोड, देहरादून रोड एवं अम्बाला रोड पर खिल इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रदर्शित स्थलों पर किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है उद्यक्त स्थल पर जनसामान्य द्वारा मानविक स्थीरकृत कराने के लिए इन्तजुत जिये जा रहे हैं परन्तु भूतप्रयोग के कारण उनको स्थीरकृति प्रदान नहीं की जा रही है। दिल्ली रोड, देहरादून रोड, जनता रोड एवं अम्बाला रोड पर पूर्व में प्रदर्शित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के स्थान पर आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आवासीय भूतप्रयोग में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप अनुमत्य है।</p>
--	--	--

उक्त के क्रम में महायोजना-2021 में प्रदर्शित, विभिन्न श्रेणी के भूउपयोग को एक ही श्रेणी आवासीय भूउपयोग में प्रस्ताव किए जाने का अनुमोदन जिससे आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जा सके।

(ख) नामनवलेचर एक सागान रहे जाने के उद्देश्य से नार एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 21.12.2021 को दिए गए सुझाव के अनुसार व्यवसायिक भूउपयोग को विभिन्न Sub-landuse (नगर केन्द्र, उपनगर केन्द्र, थोक व्यापारि का भृष्टार आदि) में बर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक सुविधाओं को अब सामुदायिक सुविधाएँ/उपरोक्ताथे या सामुदायिक सेवाएँ में बर्गीकृत किया गया। साथ ही साथ औद्योगिक, वातावात एवं परिवहन, पार्क एवं सुनेस्टल को भी नार एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार श्रेणीयां/वर्गीकरण वाले नए नामनवलेचर को बर्गीकृत कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिससे आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जा सके।

3- बाजार मार्ग :- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/सनि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 साथ संलग्न कार्यवृत्त (संलग्नक-12.1) के प्रत्यर (16) में निन सुझाव दिया गया है:-
(16.2) अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्किस लेने अनिवार्य रूप से दर्शायी गयी।

(16.3) ग्राम महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर कियाओं की अनुमति जोनिंग रेग्युलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक नूत्रामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नागत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भूउपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त उल्लिखित प्रस्ताव (16.2) एवं (16.3) की शर्तों के अनुसार आवासीय भूउपयोग में स्थित 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर बाजार मार्ग लागू किया जाना प्रस्तावित है।

4- हाइवे फैसिलिटी जोन :- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/सनि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 के साथ संलग्न कार्यवृत्त (संलग्नक-12.1) के प्रत्यर (17) के अनुसार हाइवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित किया गया है।

		<p>(1.7.1) हाइवे फैसिलिटी जोन की ओरी को कृपि भूत्योग का ही भाग माना जायेगा।</p> <p>(1.7.2) हाइवे फैसिलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपस से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक्र मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक्र मार्ग के माय से अनुनाम 12.00 मीटर का मार्गांशिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।</p> <p>(1.7.4) उपरोक्त जोनिंग रेग्युलेशन के अनुसार प्रस्तावित हाइवे फैसिलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित हाइवे जोनों को हेतु प्राची भवन निर्माण एवं दिक्कास उपयोगी गे कृपि भूत्योग के अन्तर्गत अनुमत्य अधिकातम भू-आचारादन, तल धैत्रानुपात (F.A.R), आदि के प्राप्तियानों को लागू किये जोन का सुझाव दिया गया।</p> <p style="text-align: center;">शाप्ट प्रालय में हाइवे फैसिलिटी जोन का प्रस्ताव उक्तानुसार किया गया है।</p> <p>5- जोनिंग रेग्युलेशन :-</p> <p>(1) बिन्दु सख्त (2) में नगर एवं शाम नियोजन विभाग द्वारा सुझाये गए नामनवलेचर के क्रम में उसी भूत्योग नामनवलेचर हेतु जोनिंग रेग्युलेशन पर आपति/सुझाव प्राप्त कर अंतिम रूप दिये जाने संकीर्ती अनुमोदन।</p> <p>(2) नगर एवं शाम नियोजन विभाग द्वारा अपने पत्र में प्रेषित वालार मार्ग एवं हाइवे फैसिलिटी जोन की जोनिंग रेग्युलेशन भी संलग्नक-12.1 पर सतत्य है तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है जिससे कि आपति/सुझाव प्राप्त कर उसे अंतिम रूप दिया जा सके।</p> <p>6- नगर एवं शाम नियोजन विभाग के पत्राक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/सा नि(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 के साथ संलग्न कार्यवृत्त (संलग्नक-12.1) के प्रस्तर (1.8) में निम्नवत उल्लेख है</p> <p>'बर्दमान में प्रभावी महायोजना के पिलड़ तुर निर्माण/दिवलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्राची भूत्योजना के ऐसे प्रस्तावित भूत्योग किन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का सशोधन स्थानीय दिक्कास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनाहित व नियोजन की दृष्टि से उद्यित पाया जाता है तो ऐसी दवा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे तभी भूत्योग एवं उनके साथीपूर्वी प्रस्ताव सम्मूर्ती अधिक्य राहित अलग से हैंयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। बोर्ड ने अनुमोदनोपरान्त प्रालय महायोजना की प्रदर्शनी के रामय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानधिक्र तैयार कर प्रालय महायोजना के साथ आपति/सुझाव अमर्तित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिन पर आपति/सुझावों हेतु गणित समिति की संस्थापि पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्थीरता हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रालय महायोजना में समाप्तित किया जाए।'</p>
--	--	--

		<p>उक्त के बाग में द्वारी महायोजना में संशोधन हेतु प्रस्तुत भूपर्योग निम्नलिखि है :-</p> <p>(क) रिमाउण्ट डिपो :- रिमाउण्ट डिपो की जो स्थिति दर्शाई गयी थी उसमें बहमान स्थिति के अनुरूप संशोधन करते हुए जीडीआई०एल० के आगाम पर गारंटिक स्थिति प्रदर्शित गयी है।</p> <p>(ख) द्वारापोर्ट नगर योजना - ग्राहिकरण द्वारा स्वीकृत एवं विकसित द्वारापोर्ट नगर योजना के स्वीकृत लैभाइट एवं महायोजना में प्रदर्शित स्थिति में अल्प है। अल्प स्वीकृत लैभाइट का समावय वर्तों हुए संशोधन उपलब्ध स्थिति प्रदर्शित की गयी है।</p> <p>(ग) स्पार्ट रिट्री योजना की अतर्कत प्रसार- ६४ / पर अनुसोदन हेतु प्रस्तुत है।</p> <p>(घ) प्रभावी महायोजना में बाजार क्षेत्र एवं सपन बाजार क्षेत्र का निर्वाचन किया गया है। लक्ष्यवात् विकास के बारण निर्वित क्षेत्र में कुछ अन्य मण्ड/क्षेत्र बाजार क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके हैं जिस कारण से बाजार एवं सपन बाजार क्षेत्र के, क्षेत्र में बढ़ीतीर प्रस्तावित है।</p> <p>(ङ) अम्बाला रोड से देहरादून रोड तक काईपास निर्वित हो जाने के कारण द्वारी महायोजना में एक भास्टर ब्लान रोड विलोक्ति किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त रास्क का अब तक विकास नहीं हुआ वा तथा बाईपास निर्वित हो जाने का आरण अब इसका औचित्य नहीं रहा है।</p> <p>(च) ०२ अधिकार घाउड (द्वारी महायोजना के परिवर्तन दिग्गज में) जिनका उपयोग अनी तक नहीं हो सका है इन्हे हटाए जाना प्रस्तावित है।</p> <p>उक्त भूपर्योग संशोधन हेतु इस आशय से प्रस्तुत है कि अनुसोदनोदर्शन आवृत्ति/सुझाव हेतु आवक्त्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>अत उपरोक्तानुसार दिनुमो पर प्रस्तुत प्रसारण का अनुसोदन एवं ऐ ०३८८८८१ गोवल इच्छा कस्टलटेन्ट्रा लिंट कम्पलैन्ट द्वारा तैयार किये गये महायोजना-२०३१ के द्वारा आकाश जिलका इस्तुतीकरण थोड़े के सम्बन्ध किया गया है, पर आवृत्ति सुझाव ग्राव किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव दियाराई एवं अनुसोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	
६४ / १३	उत्तर प्रदेश नगरीय परिवर्त विकासपारी विनियमन (पर्याप्त संशोधन) विधायिका, २०२१ को अग्रीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>उत्तर प्रदेश संसदीय द्वारा अधिनियम संख्या ५ संख्या १९०४ (उत्तर प्रदेश अविनियम संख्या ५ संख्या १९०४) की धारा २१ के साथ पांच उत्तर प्रदेश नगरीय परिवर्त विकासपारी विनियमन अधिनियम, २०२१ (उत्तर प्रदेश अविनियम संख्या १८ संख्या २०२१) की धारा ४४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सञ्जाकत उत्तर प्रदेश नगरीय परिवर्त विकासपारी विनियमन विधायिका, २०२१ का संशोधन करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या २००९/आठ-१-२१-१७८८८/२०१८/०८०६१७ दिनांक १७ दिसम्बर, २०२१(संलग्नक-१३.१) जारी की गयी है जिसको अग्रीकृत किये जाने हेतु संख्या १० वार्ड के साथ प्रसारण अनुसोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>पा० बोर्ड द्वारा विवारोपरान्त प्रस्ताव अग्रीकृत किया गया।</p>

२१

<td style="width: 10%;">64/14</td> <td> मू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिमापाएं के अन्तर्गत "ओडियोगिक" शीर्षक के अधीन एक नवी लम्बाई "उ040" देवर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" (यथास्थोपित) को अनीकृत किये जाने के सब्द में। </td> <td> <p>उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं राही नियोजन अनुग्रह-3, लखनऊ द्वारा निर्भत अधियूता संख्या 689/2021-B-3099/91/2019 दिनांक 02 जून 2021(संलग्नक-14 1) के द्वारा उ040 राष्ट्रपति अधिनियम (परिकारों सहित यथा दुन अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की घारा-13 की उपधारा(2) विधीन प्रदेश के नगरों की प्रगती महायोजना के जोनिंग रेग्युलेशन में सशाधन किये जाने के सब्द में मू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिमापाएं के अन्तर्गत "ओडियोगिक" शीर्षक के अधीन एक नवी उपक्षेणी "उ040" देवर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" (यथास्थोपित) के अन्तर्गत लॉजिस्टिक्स पार्क एवं इकाईयों को समिलित किया रखा है।</p> <p>अतः उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं राही नियोजन अनुग्रह-3, लखनऊ द्वारा निर्भत अधियूता संख्या 689/2021-B-3099/91/2019 दिनांक 02 जून 2021 को अनीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव गा० बोर्ड के साथ अनुदानात्मक प्रस्तुत है।</p> </td> <td> गा० बोर्ड द्वारा विद्यारोपान्त्र प्रस्ताव अनीकृत किया गया। </td>	64/14	मू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिमापाएं के अन्तर्गत "ओडियोगिक" शीर्षक के अधीन एक नवी लम्बाई "उ040" देवर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" (यथास्थोपित) को अनीकृत किये जाने के सब्द में।	<p>उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं राही नियोजन अनुग्रह-3, लखनऊ द्वारा निर्भत अधियूता संख्या 689/2021-B-3099/91/2019 दिनांक 02 जून 2021(संलग्नक-14 1) के द्वारा उ040 राष्ट्रपति अधिनियम (परिकारों सहित यथा दुन अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की घारा-13 की उपधारा(2) विधीन प्रदेश के नगरों की प्रगती महायोजना के जोनिंग रेग्युलेशन में सशाधन किये जाने के सब्द में मू-उपयोग परिसरों/कियाओं की परिमापाएं के अन्तर्गत "ओडियोगिक" शीर्षक के अधीन एक नवी उपक्षेणी "उ040" देवर हाउसिंग को तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" (यथास्थोपित) के अन्तर्गत लॉजिस्टिक्स पार्क एवं इकाईयों को समिलित किया रखा है।</p> <p>अतः उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं राही नियोजन अनुग्रह-3, लखनऊ द्वारा निर्भत अधियूता संख्या 689/2021-B-3099/91/2019 दिनांक 02 जून 2021 को अनीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव गा० बोर्ड के साथ अनुदानात्मक प्रस्तुत है।</p>	गा० बोर्ड द्वारा विद्यारोपान्त्र प्रस्ताव अनीकृत किया गया।
--	-------	---	--	---

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मन्दवाद सहित धैठक समाप्त की गयी।

(टी०पी०स०)
सानी०
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

(आशीष कुमार)
उपकार्यकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

(लोकेश ए०)
आमुना०/आमुना०
सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।